भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 200B/2017-18

1. दुर्गा चरण महतो 2. सुरेन्द्र महतो बनाम संजय कुमार महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13/02/18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 207 दिनांक 06.02.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 200 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. दुर्गा चरण महतो 2. सुरेन्द्र महतो दोनों के पिता स्व0 लाल मोहन महतो, ग्राम-मानिक बाजार, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता संजय कुमार महतो पिता बनमाली महतो, ग्राम-बनकाटी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मानिक बाजार	286	04	474	0.06एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिता के नाम खरीदा एवं नामांतरित है। विक्रेतागण अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। बिक्रेताओं के पास 4.86 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.06 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 4.80 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.06 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

13/02/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner